न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /निगरानी–5064/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

बाबूलाल धोवी पुत्र स्व0 श्री तुलई धोवी
आयु–64 वर्ष, व्यवसाय–कृषि कार्य, निवासी
वार्ड कमांक 13 दंगयाना मोहल्ला निवाडी
तहसील–निवाडी, जिला टीकमगढ, म0प्र0
.......आवेदक

बनाम

1– म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर महोदय
जिला टीकमगढ, म0प्र0

2– **श्रीमती उर्मिला धोवी** पुत्री स्व0 श्री तुलई
पत्नि स्व0 श्री बाबूलाल धोवी
आयु–54 वर्ष, निवासी–ग्राम चकरपुर
तहसील–औरछा, जिला टीकमगढ, म0प्र0

.......अनावेदकगण

(S.K. Khare Adv)
16/8/18

श्री एस० के० खरे अभि० द्वारा आज दि० 20-8-18 प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 28-8-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 20-8-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, विरूद्व आदेश दिनांक 31/07/18 पारित द्वारा तहसीलदार महोदय निवाडी, जो प्रकरण कमांक 54/अ–6/2017–18 में पारित कर अनावेदक कमांक 2 को पक्षकार वनाये जाने का आदेश पारित कर आपत्तियो का विधिवत निराकरण न करते हुये प्रकरण में आवेदक साक्षियो पर प्रतिपरीक्षण हेतु आदेश पारित किया है। आदेश की प्रमाणित प्रति निगरानी के साथ संलग्न की जाकर अनेक्चर ए/1 से चिन्हित किया गया है।

श्रीमान् जी,

आवेदक की निगरानी सविनय निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत हैः–

संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि, आवेदक ने एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 110 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता को श्रीमान तहसीलदार महोदय निवाडी के समक्ष प्रस्तुत कर भूमि खसरा कमांक 539/5 रकवा 0,040 है0 लगान 0,61 पैसे एवं भूमि खसरा कमांक 539/6 रकवा 1,518 है0 लगान 2,81 पैसे कुल किता 2 कुल रकवा 1,558 है0 लगान 2,87 पैसा का आवेदक के नाम नामान्तरण हेतु प्रस्तुत किया। जो विचाराधीन है।

2– यह कि, विवादित अराजी आवेदक के पिता द्वारा वजरिये रजिस्टर्ड विकयपत्र दिनांकी 4/7/81 कय की थी। इस प्रकार विवादित अराजी आवेदक के पिता की स्वअर्जित सम्पत्ति थी। आवेदक के पिता द्वारा आवेदक के हक में दिनांक 11/9/14 को रजिस्टर्ड वसीयतनामा संपादित किया। आवेदक के परिवार में आवेदक का एक भाई विकलांग

(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-5064/2018/टीकमगढ़/भू.रा. बाबूलाल विरूद्ध शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक बाबूलाल की ओर से अभिभाषक श्री भूपेन्द्र माहौर उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार निवाडी, जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 54/अ-6/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 31-07-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 20-07-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी । प्रकरण में कायमी (Admission) पर निर्णय लिया जाना है । 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।"	

(13)

4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

22.x.18

(आर.के. जैन)
सदस्य